फा.सं.21(2)/2015-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 06 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं.21(2)/2008-ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. सरकार ने परिवहन भत्ते के प्रयोजनार्थ जनगणना- 2011 (जनसंख्या मानदण्ड) के अनुसार शहरों/कस्बों/स्थानों के पुनर्वर्गीकरण पर विचार किया है। तदनुसार, राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को **अनुबंध-I** के अनुसार ***उच्चतर दरों पर*** परिवहन भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ शहरों, कस्बों और स्थानों के संशोधित वर्गीकरण का निर्णय लिया है। अतः दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा '1' के नीचे दी गई तालिका में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:

कर्मचारियों द्वारा आहरित ग्रेड वेतन	**परिवहन भत्ते की प्रतिमाह स्वीकार्य दरें**	
	अनुबंध-I के अनुसार वर्गीकृत शहर	अनुबंध-I में शामिल शहरों से भिन्न सभी शहर, कस्बे और स्थान
5400/-रु. और अधिक ग्रेड वेतन	3200/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता	1600/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता
4200/-रु., 4600/-रु. और 4800/-रु. ग्रेड वेतन	1600/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता	800/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता
4200/-रु. से कम ग्रेड वेतन आहरित कर रहे किंतु 7440/-रु. के समकक्ष और अधिक के वेतन बैंड में वेतन आहरित कर रहे कर्मचारी		
4200/-रु. से कम ग्रेड वेतन और 7440/-रु. से कम के वेतन बैंड में वेतन	600/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता	400/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता

3. परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ शहरों/कस्बों/स्थानों का संशोधित वर्गीकरण 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा।

4. व्यय विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा. सं.21(2)/2008-ई.II(बी) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र बल कर्मियों और रेल कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

सु भा च

(सुभाष चन्द)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

जनगणना- 2011 के अनुसार शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् परिवहन भत्ते की उच्चतर दरों के लिए पात्र शहरों की सूची (1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर/कस्बे का नाम
(i)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
(ii)	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद (यूए)
(iii)	अरुणाचल प्रदेश	-
(iv)	असम	-
(v)	बिहार	पटना (यूए)
(vi)	चंडीगढ़	-
(vii)	छत्तीसगढ़	-
(viii)	दादर और नगर हवेली	-
(ix)	दमन और दीव	-
(x)	दिल्ली	दिल्ली (यूए)
(xi)	गोवा	-
(xii)	गुजरात	अहमदाबाद (यूए); सूरत (यूए)
(xiii)	हरियाणा	-
(xiv)	हिमाचल प्रदेश	-
(xv)	जम्मू और कश्मीर	-
(xvi)	झारखंड	-
(xvii)	कर्नाटक	बंगलौर/बंगलूरू (यूए)
(xviii)	केरल	कोच्चि (यूए); कोझिकोड (यूए)
(xix)	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-
(xx)	मध्य प्रदेश	इंदौर (यूए)
(xxi)	महाराष्ट्र	बृहन मुंबई (यूए); नागपुर (यूए); पुणे (यूए)
(xxii)	मणिपुर	-
(xxiii)	मेघालय	-
(xxiv)	मिजोरम	-
(xxv)	नगालैंड	-
(xxvi)	ओडीशा	-
(xxvii)	पुदुचेरी (पांडिचेरी)	-
(xxviii)	पंजाब	-
(xxix)	राजस्थान	जयपुर (यूए)
(xxx)	सिक्किम	-
(xxxi)	तमिलनाडु	चेन्नै (यूए); कोयम्बतूर (यूए)
(xxxii)	त्रिपुरा	-
(xxxiii)	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (यूए); कानपुर (यूए); लखनऊ (यूए)
(xxxiv)	उत्तराखंड	-
(xxxv)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यूए)